

03
२३/२५

प्राथमिक अधिकारता उपस्थित। अप्राथमिक संख्या २ व ३ की ओर से अधिकारता श्री दलजीत सिंह बराड उपस्थित आए। ग. १ की आवधि लगानी वैसी तक बसाई जाती है। पत्रावली वारंते तलवी व जबाब प्राथमिक पत्र दिनांक १५/५/२५ को पेश है।

१५/५/२५

प्राथमिक व प्राथमिक अधिकारता उपस्थित नहीं। प्राथमिक व प्राथमिक अधिकारता को सक-२ कर उबार आवाज लगाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। प्राथमिक का प्राथमिक पत्र अन्तर्गत धारा ३१२ RPA खारिज किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी विधिद्वारा दिनांक १८/१०/२३ श्री विरक्त की जाती है। पत्रावली गिनती लेकर वास्तव से कम होकर वापस लौटती है।



उपस्थंड अधिकारी (राजस्थान)
श्री करणपुर